Hindi | हिन्दी

अगली राष्ट्रीय विकलाँगता कार्यनीति

का निरूपण

हमें समुदाय ने जो बताया, उसके बारे में एक रिपोर्ट

Easy Read

इस रिपोर्ट का उपयोग कैसे करें

द सोशल डेक (The Social Deck) ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के लिए यह रिपोर्ट बनाई है।

जब आपको ‘हम’ शब्द दिखाई देता है, तो इसका अर्थ ऑस्ट्रेलियाई सरकार है।

हमने इस रिपोर्ट को पढ़ने में आसान तरीके से लिखा है।

हमने कुछ विचारों को समझाने के लिए चित्रों का उपयोग किया है।

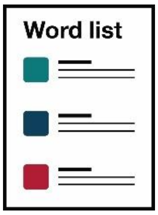

हमने कुछ शब्दों को **गहरे रंग (bold)** में लिखा है।

हमने इन शब्दों का अर्थ समझाया है। इन शब्दों की सूची पृष्ठ 27 में दी गई है।

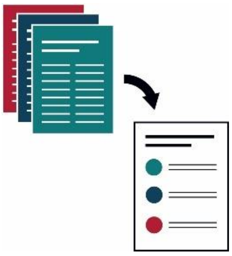

यह पढ़ने में आसान (Easy Read) रिपोर्ट एक दूसरी रिपोर्ट का साराँश है।

यह दूसरी रिपोर्ट हमारी वेबसाइट

www.engage.dss.gov.au/a-new-national-disability-strategy-for-beyond-2020

पर उपलब्ध है।

आप इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए सहायता माँग सकते/सकती हैं। कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या समर्थन व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है।

इस रिपोर्ट की विषय-सामग्री

राष्ट्रीय विकलाँगता कार्यनीति क्या है? 4

नई राष्ट्रीय विकलाँगता कार्यनीति 7

कार्यनीति के बारे में समुदाय के साथ बात करना 9

समुदाय ने हमें क्या बताया 12

नई कार्यनीति के लिए हमारा दृष्टिकोण 22

आगे क्या होगा? 25

शब्द सूची 27

हमसे संपर्क करें 30

राष्ट्रीय विकलाँगता कार्यनीति क्या है?

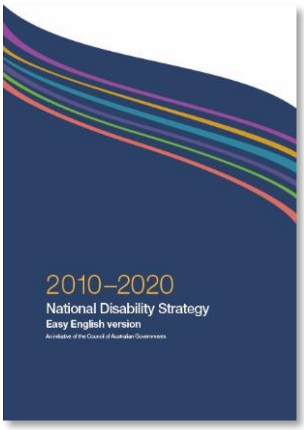

राष्ट्रीय विकलाँगता कार्यनीति 2010–2020

विकलाँग व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के लिए एक योजना है।

इस दस्तावेज़ में हम इसे 'कार्यनीति' कहते हैं।

यह कार्यनीति इस बारे में बात करती है कि हम ऑस्ट्रेलिया को और भी अधिकः

- **समावेशी**
- **सुगमतायुक्त**

बनाने के लिए क्या कर सकते हैं।

यदि कोई कार्य समावेशी होता है, तो इसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं।

यदि कोई सुविधा सुगमतायुक्त होती है, तो सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें निम्नलिखित सुविधाएँ शामिल हो सकती हैः

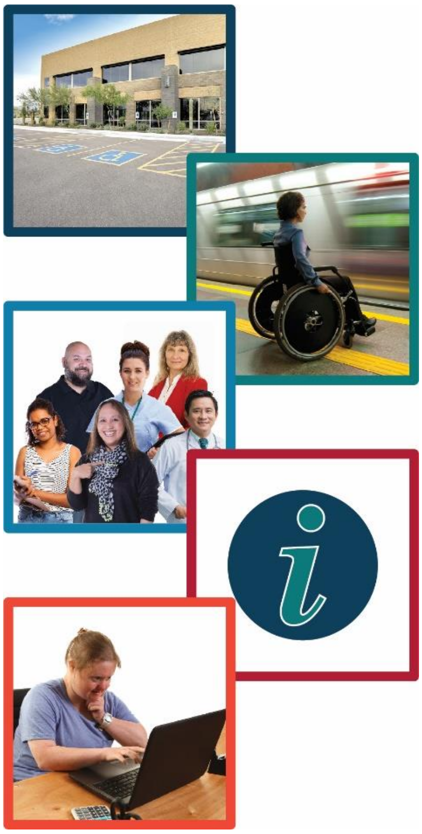

- स्थान या इमारत
- परिवहन
- सेवा
- जानकारी
- वेबसाइट।

कार्यनीति यह समझाती है कि विकलाँगता-ग्रस्त लोगों के साथ निम्नलिखित कार्य किस प्रकार से किए जाने चाहिए:

- अन्य सभी लोगों के समान व्यवहार
- हमारे समुदाय में समावेशन।

यह कार्यनीति *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UN Convention) *[विकलाँग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए सँयुक्त राष्ट्र प्रसंविदा* (सँयुक्त राष्ट प्रसंविदा)] में दिए गए विचारों पर आधारित है।

UN Convention (सँयुक्त राष्ट प्रसंविदा) एक

अंतर्राष्ट्रीय सहमति है।

यह पूरे विश्व-भर में लागू होती है।

UN Convention (सँयुक्त राष्ट्र प्रसंविदा)

विकलाँगता-ग्रस्त लोगों के अधिकार निर्धारित करती है।

यह इस बारे में समझाती है कि विकलाँगता-ग्रस्त लोगों के साथ किस प्रकार से भेदभाव-रहित व्यवहार किया जाना चाहिए।

नई राष्ट्रीय विकलाँगता कार्यनीति

2020 में कार्यनीति समाप्त हो जाएगी।

नई कार्यनीति बनाने के लिए पूरे ऑस्ट्रेलिया-भर में सरकारें साथ मिलकर काम कर रही हैं।

हम जानना चाहते हैं कि लोगों के विचार में नई कार्यनीति में क्या बातें शामिल होनी चाहिए।

हमने निम्नलिखित तरीकों से लोगों से उनके विचार पूछे:

- सर्वेक्षण में

- सामुदायिक कार्यशालाओं में

- व्यक्तिगत रूप से उनके साथ बात करके

- ऑनलाइन रूप से उनके साथ बात करके।

समुदाय के लोगों ने हमें जो बताया, यह रिपोर्ट उसके बारे में है।

कार्यनीति के बारे में समुदाय के साथ बात करना

हमारे द्वारा बनाई जाने वाली सभी योजनाओं के बारे में समुदाय के साथ बात करना नई कार्यनीति के लिए महत्वपूर्ण है।

हमनें निम्नलिखित लोगों से बात कीः

- विकलाँगता-ग्रस्त लोग

- परिवार

- देखभालकर्ता

- **अधिवक्ता** – विकलाँगता-ग्रस्त लोगों की ओर से आवाज़ उठाने वाले लोग

- सेवा प्रदाता

- **शिक्षाविद** – कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले व्यक्ति।

हमने अलग-अलग तरीकों से समुदाय के लोगों की बातें सुनी।

सर्वेक्षण में 2,649 लोगों ने प्रश्नों के उत्तर दिए।

सामुदायिक कार्यशालाओं में 599 लोगों ने भाग लिया।

हमने 474 आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों से बात की।

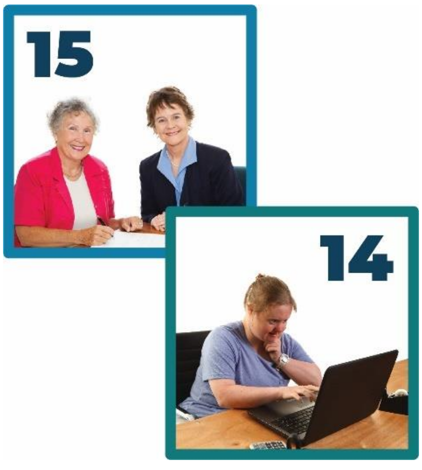

हमने निम्नलिखित के साथ आमने-सामने बात कीः

- व्यक्तिगत रूप से 15 संगठन
- ऑनलाइन रूप से 14 लोग।

समुदाय ने हमें क्या बताया

लोगों ने हमें नई कार्यनीति के बारे में सोचने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण विचार दिए।

उन्होंने बताया कि विकलाँगता-ग्रस्त लोगों के बारे में निर्णय लेते समय उन्हें हरेक बार शामिल किया जाना चाहिए।

इसमें निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं:

- नई कार्यनीति में क्या शामिल होगा

- नई कार्यनीति कैसे काम करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकारों के लिए नई कार्यनीति का अनुपालन करना महत्वपूर्ण है।

लोगों ने कहा कि सरकारों द्वारा नई कार्यनीति के अनुपालन की जाँच करने वाला एक समूह होना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि हरेक वर्ष इस बारे में रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए कि नई कार्यनीति कैसे चल रही है।

विकलाँगता-ग्रस्त लोगों के लिए क्या सुधार हुए हैं?

समुदाय के लोगों ने हमें बताया कि पिछले 10 वर्षों में कुछ बातों में सुधार हुए हैं।

लोगों ने बताया कि:

- वे अपनी आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा करने वाली सेवाएँ और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं

- विकलाँगता-ग्रस्त लोगों के बारे में समुदाय के विचार और महसूस करने के तरीके में सुधार आया है

- और अधिक सँख्या में विकलाँगता-ग्रस्त लोगों को मीडिया में दिखाया जाता है

- विकलाँगता-ग्रस्त लोग अधिक सँख्याओं में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हैं

- समुदाय के लिए सुगमता बेहतर हुई है।

विकलाँगता-ग्रस्त लोगों को अभी भी किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

हमारे समुदाय में विकलाँगता-ग्रस्त लोगों को अभी भी अवरोधों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 80% से भी अधिक लोगों ने कहा कि जो लोग विकलाँगता-ग्रस्त नहीं हैं, वे यह नहीं जानते हैं कि उन्हें विकलाँगता-ग्रस्त लोगों के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए।

सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 31% विकलाँगता-ग्रस्त लोगों ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में **भेदभाव** का स्तर और भी खराब हो गया है।

जब आपकी विकलाँगता के कारण आपके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो यह भेदभाव होता है।

सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 34% विकलाँगता-ग्रस्त लोगों ने कहा कि **हिंसा**, **दुर्व्यवहार**, **उपेक्षा** और **शोषण** के अनुभव पिछले 5 वर्षों में और भी खराब हो गए हैं।

जब आपको कोई शारीरिक नुकसान पहुँचाता है, तो यह हिंसा होती है।

जब कोई आपके साथ गलत बर्ताव करता है, तो यह दुर्व्यवहार होता है।

यदि किसी से आपकी सहायता की उम्मीद की जाती है और वह ऐसा नहीं करता है, तो यह उपेक्षा होती है।

जब कोई आपसे फायदा उठाता है, तो यह शोषण होता है।

सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 72% लोगों ने कहा कि विकलाँगता-ग्रस्त सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 60% लोगों ने कहा कि विकलाँगता-ग्रस्त लोगों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन होता है।

हमें यह भी पता चला कि लगभग 50% विकलाँगता-ग्रस्त लोग अक्सर सामुदायिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं।

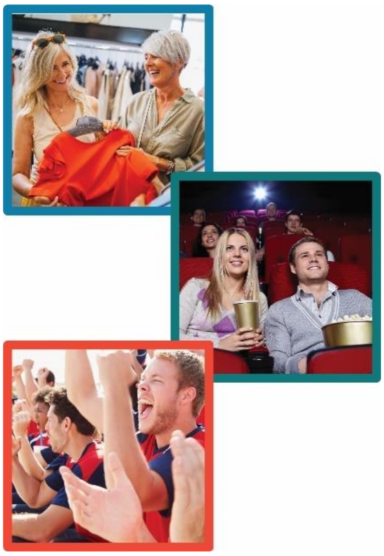

सामुदायिक गतिविधियों में निम्नलिखित कार्य शामिल हो सकते हैं:

- खरीदारी
- सिनेमा देखने के लिए जाना
- खेल कार्यक्रम देखने के लिए जाना, जैसे फुटबॉल।

विकलाँगता-ग्रस्त लोगों द्वारा भाग न लेने का सबसे सामान्य कारण यह है कि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं।

विकलाँगता-ग्रस्त लोगों ने कहा कि उन्हें जो सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वे निम्नलिखित हैं:

- नौकरी की खोज करना और नौकरी बनाए रखना

- पर्याप्त पैसे होना।

विकलाँगता-ग्रस्त लोगों ने हमें अन्य चुनौतियों के बारे में भी बताया, जो उन्हें अपनी इच्छानुसार जीवन जीने से बाधित करती हैं।

इन चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- लोगों द्वारा उनके अधिकारों का समर्थन न किया जाना

- अपने लिए काम-काज स्वयं करने में सक्षम न होना

- खराब स्वास्थ्य और कल्याण होना

- विकलाँगता-ग्रस्त लोगों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों में उन्हें शामिल न किया जाना

- लोगों को इस बात की समझ न होना कि अलग-अलग विकलाँगता-ग्रस्त समूहों के लोगों को अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

हमारे समुदाय में समूह

हमारे समुदाय में ऐसे कई समूह हैं जिन्हें अतिरिक्त बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इन अलग-अलग समूहों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले तथा कस्बों और नगरों से बहुत दूर रहने वाले लोग

- आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोग

- बच्चे और युवा लोग

- 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग

- महिलाएँ

- स्त्री-समलैंगिक, पुरुष-समलैंगिक, उभयलैंगिक, पारलैंगिक, अंतरलैंगिक और क्वियर (एलजीबीटीआईक्यू+) लोग

- ऐसे लोग जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं

- विभिन्न **सँस्कृतियों** से आने वाले लोग।

आपकी सँस्कृति आपके या आपके परिवार के जन्म-स्थान के आधार पर आपकी जाति, आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा या आपकी जीवन-शैली होती है।

नई कार्यनीति के लिए हमारा दृष्टिकोण

हमारा **दृष्टिकोण** यह है कि हम भविष्य में कौन सी बातें बेहतर बनाने में नई कार्यनीति से सहायता चाहते हैं।

लोगों ने हमें बताया कि नई कार्यनीति के लिए उनका दृष्टिकोण क्या है।

उन्होंने कहा कि वे निम्नलिखित बातें देखना चाहेंगे:

- विकलाँगता-ग्रस्त लोगों को अच्छा समर्थन उपलब्ध कराने वाले देशों की सूची में ऑस्ट्रेलिया का ऊँचा स्थान

- सभी मानवाधिकारों के लिए सम्मान

- विकलाँगता-ग्रस्त लोगों के अधिकारों का समर्थन करने वाले नए कानून

- विकलाँगता-ग्रस्त लोगों के लिए और अधिक नौकरियाँ

- विकलाँगता-ग्रस्त लोगों के लिए और अधिक सुगमतायुक्त आवास

- ऐसे समुदाय, जो सभी लोगों के लिए सुगमतायुक्त हों

- सभी विकलाँगता-ग्रस्त लोगों के लिए बेहतर जीवन

- नई **नीतियों** के निर्धारण में विकलाँगता-ग्रस्त लोगों की संलग्नता।

भविष्य के लिए सरकार की योजना को

नीति कहा जाता है।

आगे क्या होगा?

लोगों ने जिन बातों को अपने लिए महत्वपूर्ण बताया, हमने वह सब सुनी।

अब हम नई कार्यनीति बनाना शुरू करेंगे।

नई कार्यनीति बनाते समय हम:

- लोगों को यह बताने का अवसर देंगे कि हम जो बातें कार्यनीति में शामिल करना चाहते हैं, उनके बारे में वे क्या सोचते हैं

- विकलाँगता-ग्रस्त लोगों के रोजगार प्राप्त करने के अधिकार और इस अधिकार को कार्यनीति में शामिल किए जाने के तरीकों के बारे में और अधिक विचार करेंगे

- यह प्रदर्शित करेंगे कि राष्ट्रीय विकलाँगता बीमा योजना (एनडीआईएस) [National Disability Insurance Scheme (NDIS)] में भाग न लेने वाले विकलाँगों को सरकारें समर्थन कैसे दे सकती हैं

- विकलाँगता-ग्रस्त लोगों को नई तकनीकी का प्रयोग करने के लिए सरकारों द्वारा समर्थन देने के तरीकों के बारे में विचार करेंगे

- सरकारों को यह दिखाएँगे कि वे समुदायों को और अधिक सुगमतायुक्त कैसे बना सकती हैं

- अलग-अलग विकलाँगता-ग्रस्त लोगों के समूहों को समर्थन उपलब्ध कराने और सरकारों द्वारा उनकी सहायता करने के तरीकों के बारे में विचार करेंगे

- कार्यनीति में बताए गए कार्यों क़ा सरकारों द्वारा अनुपालन प्रदर्शित करने के तरीकों के बारे में विचार करेंगे।

शब्द सूची

दुर्व्यवहार

जब आपके साथ कोई व्यक्ति बुरा बर्ताव करता है।

शिक्षाविद

कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला व्यक्ति।

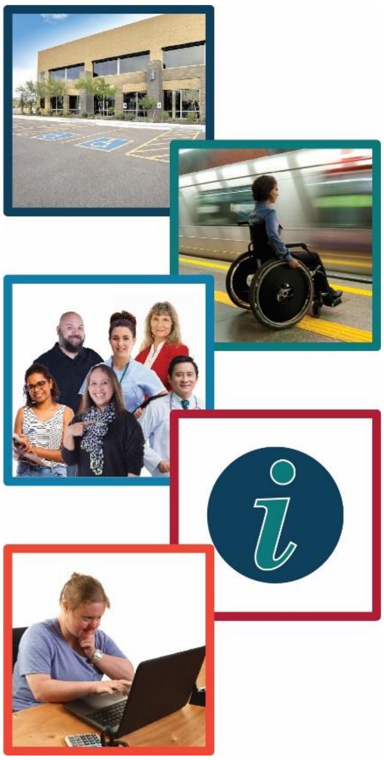

सुगमतायुक्त

यदि कोई सुविधा सुगमतायुक्त होती है, तो सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं।

इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते है:

- स्थान या इमारत
- परिवहन
- सेवा
- जानकारी
- वेबसाइट।

अधिवक्ता

आपका पक्ष-समर्थन करने वाला व्यक्ति। वह आपको अपनी बात कहने में सहायता दे सकता है। वह आपको जानकारी और सलाह भी दे सकता है।

सँस्कृति

आपके या आपके परिवार के जन्म-स्थान के आधार पर आपकी जाति, आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा या आपकी जीवन-शैली।

भेदभाव

जब आपकी विकलाँगता के कारण आपके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है।

शोषण

जब कोई व्यक्ति आपसे फायदा उठाता है।

समावेशी

यदि कोई बात समावेशी होती है, तो इसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं।

उपेक्षा

यदि किसी से आपकी सहायता की उम्मीद की जाती है और वह ऐसा नहीं करता है।

नीतियाँ

भविष्य के लिए सरकार की योजनाएँ।

हिंसा

जब कोई आपको शारीरिक नुकसान पहुँचाता है।

दृष्टिकोण

हमारा दृष्टिकोण यह है कि हम भविष्य में कौन सी बातें बेहतर बनाने के लिए नई कार्यनीति से सहायता चाहते हैं।

हमसे संपर्क करें

1800 334 505

आप राष्ट्रीय रिले सेवा (National Relay Service) को भी कॉल कर सकते/सकती हैं।

टीटीवाई उपयोगकर्ता: **1800 555 677**

फोन **13 36 77**

disabilityreform@dss.gov.au

www.engage.dss.gov.au

सूचना सुगमता समूह (Information Access Group) ने स्टॉक फोटोग्राफी और व्यक्तिपरक तस्वीरों का प्रयोग करके यह पढ़ने में आसान (Easy Read) तथ्यपत्रक बनाया है। बिना अनुमति के तस्वीरों का पुनरुपयोग संभावित रूप से नहीं किया जा सकता है। तस्वीरों के बारे में किसी भी पूछताछ के लिए कृपया वेबसाइट **www.informationaccessgroup.com** पर जाएँ। कार्य सँख्या 3319 का संदर्भ दें।